


उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4278 /
दो-13-21/20

जबलपुर, दिनांक 04/10/2020
11

श्री चेतन सिंह पारगी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की सेवायें आवश्यकता न होने के कारण नोटिस के एवज में एक माह का वेतन प्रदान करते हुये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।


03.10.20

(राजेन्द्र कुमार वाणी)


रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/4279 /
दो-13-21/20

जबलपुर, दिनांक 04/10/2020
11

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ इंदौर(म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/व्ही.एल./न्यायिक 1 एवं 2/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इंदौर,
4. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री चेतन सिंह पारगी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शनि शर्मा)
03/10/2020
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
Ran